मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी: अंतर को समझना

"मानव तस्करी" और "प्रवासी तस्करी" ऐसे दो भिन्न अपराध हैं जिन्हें प्रायः गलती से जोड़ा जाता है या जिनका परस्पर-परिवर्तनीय रूप से हवाला दिया जाता है। दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करना अच्छी सरकारी नीतियों के विकास और इन्हें लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि तस्करी के पीड़ितों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपराध पीड़ित माना जाता है; तस्करी किए गए व्यक्तियों को ऐसा नहीं माना जाता-वे उनकी आवाजाही को आसान बनाने के लिए तस्करों को भुगतान करते हैं। इस प्रकार, मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी के बीच अंतरों की बेहतर जानकारी से संभावित रूप से पीड़ित की रक्षा में सुधार हो सकता है और पीड़ितों को पुनः शोषण से बचाव हो सकता है।

मानव तस्करी

मानव तस्करी ज़बरदस्ती श्रम या बल, धोखाधड़ी या बल प्रयोग के माध्यम से किसी वाणिज्यिक सेक्स कार्य के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के शोषण से संबंधित अपराध है। यह अर्थ अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट (रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल), सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्संस (मानव तस्करी को दबाना और दंड देना), खासकर महिलाओं और बच्चों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (व्यक्तियों में तस्करी प्रोटोकॉल) को पूरित करने, मानव तस्करी के अपराध को मान्यता देने के लिए पहली वैश्विक लिखत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें 170 राज्य पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, जब किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित) को वाणिज्यिक सेक्स में संलग्न होने का प्रलोभन दिया जाता है, तब यह अपराध माना जाता है चाहे बल, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती का उपयोग किया गया हो या न किया गया हो।

"मानव तस्करी" शब्द आवाजाही का आभास हो सकता है, फिर भी कोई आवाजाही अपेक्षित नहीं है। यह एक ऐसा अपराध है जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसने अपना मूल नगर कभी न छोड़ा हो। इन बातों पर ध्यान दिए बिना लोगों को मानव तस्करी के पीड़ित माना जा सकता है कि क्या उनका जन्म गुलामी की स्थिति में हुआ था, उन्हें शोषणकारी स्थिति में ले जाया गया था, वे पहले एक तस्कर के लिए काम करने के लिए सहमत थे, या मानव तस्करी किए जाने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने अपराध में भाग लिया था। तस्करी के पीड़ितों में महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्ति; बालिग और बच्चे; नागरिक और गैर-नागरिक समान रूप से सम्मिलित हैं।

उदाहरण: किसी भर्तीकर्ता ने मैरी को यह वायदा करते हुए एक रेस्तराँ में विदेश में नौकरी दिलाने का धोखा दिया जिसे वह नहीं पा सकती थी और साथ ही उसने उसे गंतव्य देश में काम करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने का वायदा किया। आगमन पर, उसके नए "बॉस" ने उसे बताया कि रेस्तराँ में कोई नौकरी नहीं है और उसे स्वयं के लिए नौकरी खोजने और देश में भेजने की लागत का भुगतान करना होगा। उसने मैरी को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया और यह धमकी भी दी कि यदि उसने अपना तथाकथित ऋण नहीं चुकाना जारी नहीं रखा, तो वह उसके परिवार को बता देगा कि वह क्या कर रही है। मैरी तस्करी की पीड़ित है: उसकी सेक्स तस्करी के लिए धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती और बल का उपयोग किया गया।

© AP Photo/Binsar Bakkara

प्रवासी तस्करी:

प्रवासी तस्करी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश में अवैध प्रवेश पाने के लिए किसी तस्करी के साथ स्वैच्छिक रूप से करार करता है उस किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार ले लाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंश को पूरित करते हुए भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग द्वारा प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (प्रवासी तस्करी प्रोटोकॉल) में परिभाषित किया गया है। प्रवासी तस्करी में प्रायः कपटपूर्ण दस्तावेज़ और किसी देश की सीमा के पार परिवहन प्राप्त करना सम्मिलित होता है, इसमें गंतव्य देश में होने पर आवाजाही और आश्रय देना भी सम्मिलित हो सकता है। प्रवासी ले जाए जाने के लिए सहमति देता है और प्रवासी द्वारा सीमा पार करने के बाद और तस्कर को पूरा भुगतान कर दिए जाने के बाद प्रवासी और तस्कर के बीच सौदा विशिष्ट रूप से समाप्त हो जाता है।

© AP Photo/Dita Alangkara

उदाहरण: युद्ध में तबाह हो चुके अपने गृह देश में ज़बरदस्त हिंसा का सामना करने के दौरान, आमिर का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से कराया जाता है जो उसे बताता है कि वह उसे $1,000 का शुल्क लेकर किसी अन्य देश में भेज सकता है। व्यक्ति इस बात पर अड़ा रहा कि वह आमिर को वहां नाव द्वारा सुरक्षित रूप से ले जाएगा। आमिर ने यात्रा के लिए उसे भुगतान कर दिया और नए देश में पहुँचने पर उसने उस व्यक्ति को दोबारा नहीं देखा। किसी बल, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती का उपयोग नहीं किया गया और आमिर से बंधुआ श्रम नहीं करवाया गया या उसे वाणिज्यिक सेक्स कार्यों में संलिप्त होने के लिए विवश नहीं किया गया। आमिर को तस्करी द्वारा लाया गया और वह तस्करी का पीड़ित नहीं है।

बहरहाल, जिन लोगों की तस्करी की जाती है, उन्हें मानव तस्करी, दुर्व्यवहार और अन्य अपराधों का बेहद खतरा होता है क्योंकि वे गंतव्य देश में अवैध रूप से मौजूद होते हैं और उन पर अपने तस्करों का बहुत अधिक कर्ज होता है। तस्करी किए गए प्रवासी कभी-कभी अपने मूल देश में हिंसा से भाग जाते हैं' अन्य बस बेहतर जीवन, आर्थिक अवसर या विदेश में परिवार के सदस्यों के साथ फिर से रहना चाहते हैं। तस्करी किए गए व्यक्तियों से मार्ग में होने के दौरान या उनके गंतव्य में सेक्स या श्रम तस्करी करवाई जा सकती है और ये व्यक्ति तस्करी पीड़ित होते हैं। फिर भी, तस्करी के सारे मामले मानव तस्करी से संबंधित नहीं होते, और न ही मानव तस्करी के सारे मामले प्रवासी तस्करी से आरंभ होते हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

प्राय: मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी वास्तव में एक दूसरे में व्याप्त होते हैं जिसके कारण यह विशेष रूप से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीति-निर्माता, कानून लागू करने वाले, प्रवास अधिकारी और सिविल सोसायटी संगठन इनके बीच के अंतर के बारे में जागरूक हों। जब प्रवासी तस्करी को मानव तस्करी मान लिया जाता है तो तस्कर पीड़ितों को संभवत: वह सुरक्षा, सेवाएं अथवा कानूनी राहत नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं और उनके पुन:शोषण की संभावना होती है।

इन कारणों से राष्ट्रीय प्रवास तथा तस्करी-विरोधी कानूनों में प्रवासी तस्करी और मानव तस्करी की स्पष्ट परिभाषाएं दी जानी चाहिए और इनसे संबंधित दंड में अंतर दर्शाया जाना चाहिए। प्रवास, कानून लागू करने वाले और न्यायिक अधिकारियों के लिए मानव तस्करी के संबंध में जागरूकता के लिए प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। जब कभी भी कानून लागू करने वाले अधिकारी प्रवासी तस्करी से संबंधित अभियानों के दौरान प्रवासियों को चिह्नित करें, तब मानव तस्करी के संकेतकों के लिए जाँच की जानी आवश्यक है।

कृपया मानव तस्करी के संकेतकों की जानकारी के लिए www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf पर संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ एवं अपराध संबंधी कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime) द्वारा संकलित सूची देखें।

In collaboration with the Bureau of Public Affairs

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
www.state.gov/j/tip
Washington, DC

June 2017